आशुलिपि कुशलता जांच में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

1. उम्मीदवार को कुशलता जांच केन्द्र में समय से पहुँचना होगा । रिपोर्ट करने का समय कॉल लेटर में सूचित किया गया है । डिक्टेशन शुरु होने के बाद जांच हॉल में पहुँचने वाले उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
2. मूल कॉल लेटर दिखाए बिना उम्मीदवार को जांच हॉल में अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी । वे कॉल लेटर को सावधानी से रखे क्योंकि इसकी फोटो कॉपी या खोने के कारण एफ. आई. आर. की प्रति को विकल्प के रुप में स्वीकार नहीं किया जाएगा । यह कॉल लेटर हस्तान्तरणीय नहीं है ।
3. लिप्यंकन समय के 15 मिनट बाद या जांच खत्म होने से पहले या केन्द्र पर्यवेक्षक / इनवीजीलेटर के निदेश के बिना उम्मीदवार को जांच हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
4. किताब या कागज का प्रयोग अनुमेय नहीं है । हॉल के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग निषेध है ।
5. हॉल में अनाचार / अनुचित व्यवहार पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा तथा उन्हें रेल भर्ती बोर्ड के आगामी परीक्षाओं एवं रेल में नियुक्ति से विवर्जित किया जाएगा ।
6. किसी एक उम्मीदवार या सभी उम्मीदवारों की पुन: जांच का हक रेल भर्ती बोर्ड के पास रहेगा ।
7. रेल भर्ती बोर्ड को गलत सूचना देने पर या किसी सूचना को छुपाने पर उम्मीदवार को किसी भी समय रेल में नियुक्ति हेतु परीक्षा देने में अयोग्य ठहराया जा सकता है या विवर्जित किया जा सकता है ।
8. जांच हॉल छोड़ने से पहले उम्मीदवार को चाहिए कि वह लिप्यंकन शीट (मूल एवं उसकी प्रति) तथा शार्टहैन्ड नोट शीट इनवीजीलेटर को सौंपे ।
9. किसी भी परिस्थिति में जांच की तिथि / सूचित समय / केन्द्र में परिवर्तन अनुमेय नहीं है ।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार निशुल्क रेल यात्रा का हकदार है तथा टिकट जारी करने हेतु उन्हें रेलवे बुकिंग काउंटर में स्कैनड फोटोग्राफ सहित कॉल लेटर प्रस्तुत करना होगा । ड्युप्लिकिट कॉल लेटर संग्रह करने हेतु रेल पास जारी नहीं किया जाएगा ।
11. इनवीजीलेटर की उपस्थिति में उम्मीदवार को हॉल के अंदर कॉल लेटर (उचित स्थान पर) पर हस्ताक्षर करना होगा । आवेदन पत्र में दी गई भाषा या स्टाइल में ही उन्हें हस्ताक्षर करना चाहिए ।
12. छदमरुपण की व्यवस्था करने पर उम्मीदवार को भविष्य में रेल भर्ती बोर्ड के परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित किया जाएगा । विधि के तहत छदमरुपण की व्यवस्था करने पर उम्मीदवार के खिलाफ अभियोजन किया जा सकता है । जांच परिसर में गड़बड़ी फैलाने पर भी अभियोजन किया जाएगा ।
13. उम्मीदवार को उपस्थिति पत्र के उपलब्ध स्थान पर बिना किसी धब्बे के उपस्थिति पत्र में मुहैया कराई गई स्थान पर सावधानीपूर्वक अपने बाये हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। अस्पष्ट, धब्बेदार बाये अंगूठे का निशान होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी।
14. इनवीजीलेटर द्वारा दिया गया कोई भी विशेष अनुदेश, यदि कोई हो, का कड़ाई से पालन होना चाहिए ।
15. उत्तर पत्रक में संलग्न फाइल में उम्मीदवार को नाम, जाति, क्रम संख्या भरना अनिवार्य है ।
16. उम्मीदवार को अपने साथ टाइप मशीन लाना आवश्यक है । रेल भर्ती बोर्ड / गुवाहाटी कोई मशीन उपलव्ध नहीं करायेगा तथा उम्मीदवार द्वारा खराब मशीन लाने पर मशीन की आपूर्ति नहीं कर पाएगा । अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है की वे उच्च गुणवत्ता वाले टाइप मशीन साथ लाए । इलेकट्रानिक टाइप मशीन अनुमेय नहीं है ।
17. जांच पैरा में 800 शब्द होंगे जिसे 80 शब्द प्रति मिनट में टाइप करना होगा । जांच पैरा के डिक्टेशन के पहले, डिक्टेशन दिये वाले उम्मीदवारों को अभ्यास स्वरुप दो डिक्टेशन दिया जाएगा ।
18. डिक्टेशन के बाद उम्मीदवारों को सिगनल मिलने पर लिप्यंकन करना होगा ।
19. अंग्रेजी पैरा हेतु 65 मिनट तथा हिन्दी पैरा हेतु 75 मिनट समय लिप्यंकन हेतु दिया जाएगा ।
20. प्रत्येक लिप्यंकन शीट तथा शार्टहैन्ड नोट शीट के बाद उम्मीदवार को अपना क्रम संख्या, नाम एवं हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।
21. निम्नलिखित को पूरी तरह से भूल समझा जाएगा:
    - किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अनुच्छेद में चूक समेत किसी शब्द या आकड़ा में चूक
    - किसी गलत शब्द या आकड़ा को हटाना
    - उद्धरण में अनुपस्थित किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अनुच्छेद को जोड़ना समेत कोई भी शब्द अथवा आकड़ा या शब्द / आकड़ों का कोई ग्रुप जोड़ना
    - हाथ से लिखित जोड़ना / भूल सुधार / निवेशन
22. निम्नलिखित को आधा भूल समझा जाएगा:
    - अशुद्ध वर्तनी एवं किसी शब्द में अक्षरों के क्रम-परिवर्तन समेत किसी शब्द से कोई अक्षर या अक्षरों का चूक
    - बहुवचन संख्या के लिए एकवचन का प्रयोग एवं इसके विपरित
    - किसी वाक्य में शब्द / शब्दों का ग्रुप में क्रम-परिवर्तन
    - प्रतिलिपि में कोई शब्द / आकड़ा अथवा शब्दों का ग्रुप अथवा आकड़ों का ग्रुप दोहराना
    - वाक्य के प्रारम्भ में बड़े अक्षरों का गलत प्रयोग
    - सम्बन्ध कारक में कोई शब्द अथवा संविदा शब्दों में सम्बोधन (apostrophe) का चूक अथवा स्थापन
    - शब्द के मध्य में स्पेस देना
    - शब्दों के बीच में स्पेस की कमी
    - लाइन के अंत में किसी शब्द का गलत अक्षर विभाजन
    - अस्पष्ट ओवर-टाइपिंग
    - पूरा एवं अस्पष्ट ओवरलैपिंग
    - कैरेट साइन का चूक एवं गलत स्थापन
    - मनमाने ढंग से एवं अपरिचीत संक्षेपण
    - एक शब्द में एक से अधिक भूल
23. आशुलिपि कुशलता जांच क्वालिफाई प्रकृति का है और कुशलता जांच में असफल होने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
24. कृपया नोट करें कि अन्य मामलों में रोजगार सूचना में दिये गए निबंधन एवं शर्ते आदि आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी ।

नोट: आशुलिपि कुशलता जांच की बुलावा पत्र अनंतिम है और किसी रोजगार की गारंटी नहीं देता हैं । किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि आप योग्यता के किसी शर्त को पूरा नहीं करते है तब आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और ऐसे रद्द किये जाने के खिलाफ किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा । अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप गंभीरतापूर्वक विचार कर संतुष्ट हो जाए कि आप योग्यता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।